Seventeenth Loksabha

>

Ttile: Request government to do proper investigations and scrutiny of procedures for time bound trial of accused in the rape cases.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: सर, 19 नम्बर था । सुबह नहीं हुआ तो मुझे लगा कि रह गया ।

अध्यक्ष जी, मेरा जो ओरिजनल विषय था, वह ओरिजनल विषय तो महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में वर्क फोर्स में जोड़ने से जुड़ा हुआ था । लेकिन आज सभा में जो कुछ चला तो मुझे लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं थोड़ा सा बोल दूँ । जो कुछ हैदराबाद में हुआ, राजस्थान में हुआ, अन्य प्रदेशों में हुआ और देश भर से इस किस्म की खबरें आईं कि हम सब लोगों के लिए चिन्ता का विषय है और लगातार चिंता भी हो रही है । वर्ष 2014 के बाद और निर्भया केस, 2012 से हम शुरू करें तो कानून में जो-जो बदलाव लाने थे, वे बदलाव लाए गए और सज़ा को अधिक से अधिक सख्त बनाया गया । लेकिन लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय होने के कारण मुझे लगता है कि बीपीआरएंडडी द्वारा और होम मिनिस्ट्री द्वारा इस पर दो किस्म की रिसर्च होनी चाहिए । पहली रिसर्च तो यह होनी चाहिए कि एक्यूज्ड की क्या प्रोफाइल है? जो लोग इस तरह की निर्मम हत्याएँ करते हैं, बालिकाओं के साथ बलात्कार करते हैं और छोटी उम्र के बच्चों के साथ ऐसा करते हैं, उनकी एक प्रोफाइलिंग होनी चाहिए । उसको प्रोपर रिसर्च तरीके से देखा जाना चाहिए । दूसरी चीज, जो डिलेज़ हैं, कोर्ट कचहरी के बाद, कोर्ट कचहरी में भी डिले है, उसको भी संज्ञान में लिया जाए और कोर्ट कचहरी के बाद में सज़ा को लेकर, जिस तरह की राजनीति होती है, उस पर भी एक रिसर्च आनी चाहिए । मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मोमबत्तियां लेकर बाहर निकलते हैं, वही लोग डेथ पैनल्टी का विरोध करते हैं । जब डेथ पैनल्टी कोर्ट ने दे दी तो उसके बाद जो डिलेज़ हैं तो फाइल नोटिंग्स आदि भी जनता के सामने आए । क्षेत्र की जनता और देश की जनता के सामने आए कि कौन अफसर, कौन नेता या वे लोग हैं, जो इन सबमें हस्तक्षेप

करते हैं और डेथ पेनल्टीज को डिले करते हैं । साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि महिला सुरक्षा को लेकर जो फिजिकल ट्रेनिंग है, वह बच्चियों के लिए इम्पेरिटिव होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए ताकि महिलाओं अपने आपको खुद सुरक्षित महसूस करें । पुरुषों की भी बाल्यकाल से ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि इस तरीके की चीजें न हों । जिला स्तर पर यह काम होना चाहिए । बहुत-बहुत आभार ।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ. संजय जायसवाल को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।